न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजनांदगांव,
जिला–राजनांदगांव (छ0ग0)

//प्रारूप– ड//
(नियम 3 (तीन) देखिए)
//अनुमति//

क्रं0 //1252/अ0वि0अ0/ प्रवा0–1/2025 राजनांदगांव, दिनांक 29/05/2025

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल– राजनांदगांव
जिला– राजनांदगांव

विषय :– वृक्ष की कटाई की अनुमति बाबत।

सहायक मंडल अभियंता दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे डोंगरगढ के पत्र क्रमांक एम/02/डीजीजी/दिनांक 28/4/2025 अनुसार बांकल से रसमड़ा के मध्य रेल्वे पटरी के पास लगे 649 नग विभिन्न प्रजाति के वृक्ष स्थित है, उक्त वृक्षों की कटाई की अनुमति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था। उक्त संबंध में प्रकरण क्रमांक 202505090800080अ–62 वर्ष 2024–25 में दिनांक 29/05/2025 को आदेश पारित किया गया । आदेश की प्रति संलग्न है ।

प्रकरण में तहसीलदार राजनांदगांव द्वारा राजस्व निरीक्षक एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी के संयुक्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर ग्राम बांकल से रसमड़ा के मध्य तहसील राजनांदगांव स्थित ग्राम लखोली, ख0नं0 64, पार्रीकला ख0नं0 212, अचानकपुर ख.0नं0 224, 268, मौहाभांठा, 98, मुढ़ीपार ख0नं0 113, 114, 115, 315, 326, 323, 313, 320, 418, जोरातराई ख0नं0 572, 161 मनगटा ख0नं0 1341, 1343, 1526 बघेरा ख0नं0 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216 ,1217 परमालकसा ख0नं0 20, सुन्दरा ख0नं0 29, ब0नवागांव ख0नं0 290, राजनांदगांव ख0नं0 119 पर स्थित विभिन्न प्रजाति के कुल 649 नग वृक्ष की कटाई हेतु प्रतिवेदित किया है । प्रकरण के परीक्षण उपरांत संलग्न संयुक्त जांच सूची अनुसार आवेदक विभाग को कुल 649 वृक्षों को काटने की अनुमति निम्न शर्तों के अध्यधीन दी गई है :–

(1) उक्त वृक्षों का विदोहन एवं परिवहन वन विभाग के सक्षम अधिकारी नियम 4 (2) के परिपालन में सुनिश्चित करेंगें।

(2) उक्त वृक्षों का विदोहन वन विभाग के सक्षम अधिकारी की निगरानी में स्वयं के व्यय पर उनके आदेशानुसार सुनिश्चित करेगें।

(3) छ0ग0 वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969 (क्रमांक 09 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 (1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन (वन उपज) नियम 2001 का पालन नहीं किए जाने पर यह अनुमति शून्य होगी।

(4) यह अनुमति आवेदन दिनांक से एक कलेण्डर वर्ष तक मान्य रहेगी।

अतः वृक्ष कटाई नियम 2022 के नियम 8 (2) का पालन करते हुये उपरोक्तानुसार आदेशित वृक्षो को काटे जाने हेतु प्रेषित है।

संलग्न :– आदेश की प्रति ।

अनुविभागीय अधिकारी(रा0)
राजनांदगांव (छ0ग0)

अनुविभागीय अधिकारी
राजनांदगांव (छ.ग.)